भारत में भ्रष्टाचार और अभिशासन

– वर्तमान स्थिति और आगे की प्रक्रिया

नीतिगत सार

VOICE OF THE VOLUNTARY SECTOR
VANI

HEINRICH BÖLL STIFTUNG INDIA

वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)

भारत में भ्रष्टाचार और अभिशासन – वर्तमान स्थिति और आगे की प्रक्रिया

लेखन : श्री मनोज राय, सोसायटी फॉर पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया (प्रिया)

अक्टूबर 2014

कॉपीराइट © वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया
इस पुस्तक की विषय वस्तु की प्रकाशक का उचित आभार प्रकट करते हुए पूर्ण या आंशिक रूप से पुनः मुद्रित किया जा सकता है।

सहयोग : "हेनरिक बोल फाउंडेशन (एचबीएफ)

हिन्दी अनुवाद : डॉ. यश चौहान

प्रकाशकः
वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)
बीबी–5, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश इन्क्लेव 2,
नई दिल्ली 110 048
फोन : 011–29228127, 29226632
टेलिफैक्स : 011–41435535
ईमेल : info@vaniindia.org
वेबसाइट : www.vaniindia.org

मुद्रकः
प्रिंट वर्ल्ड # 9810185402
ईमेल : printworld96@gmail.com

VOICE OF THE VOLUNTARY SECTOR
VANI

HEINRICH BÖLL STIFTUNG INDIA

भारत में भ्रष्टाचार और अभिशासन

– वर्तमान स्थिति और आगे की प्रक्रिया

वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)

बीबी–5, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश इन्क्लेव 2

नई दिल्ली – 110 048

फोनः 011–29228127, 29226632 टेलिफैक्सः 011–41435535

ईमेलः info@vaniindia.org ; वेबसाइटः www.vaniindia.org

आमुख

भारत विश्व की एक सबसे अधिक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में और दक्षिण–दक्षिण सहयोग के ढांचे के एक नेता के रूप में अतंर्राष्ट्रीय मंच पर प्रमुखता हासिल करता जा रहा है। ब्रिक्स, जी–20 और इबसा जैसे मंचों के माध्यम से भारत अपने आप को 2015 के बाद के विकास मुद्दों को प्रभावित करने और रूप प्रदान करने की स्थिति में पा रहा है। इन मंचों पर भारत की आवाज को प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने के लिए यह जरूरी है कि उसके स्वैच्छिक क्षेत्र के अनुभव और सरोकारों को ध्यान में रखा जाए। इसी के साथ भारत के स्वैच्छिक क्षेत्र को भूमंडलीय मुद्दों की पेचीदगियों को व्यापक रूप से प्रभावित करने वाली परिचर्चाओं और प्रक्रियाओं को समझना होगा।

इसी संदर्भ में वाणी ने अपने साझेदार संगठनों के साथ मिल कर इन चार विषयगत मुद्दों पर अध्ययन कराएरू समावेशपूर्ण विकास, वित्तीय समावेश, सतत विकास और भ्रष्टाचार तथा अभिशासन। इन अध्ययनों के फलस्वरूप प्रशिक्षित चार रिपोर्टों का उद्देश्य भारत के स्वैच्छिक क्षेत्र की ओर से 2015 के बाद के एजेंडा के लिए महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान कराना है; और इस उद्देश्य से इन्हें संबंधित मंत्रालयों और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्कों की सामग्री में जोड़ा जाएगा।

यह महसूस किया गया कि रिपोर्टों को व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए नीतिगत सारांशों के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद नीतिगत सारांशों का हिन्दी में अनुवाद भी किया गया। हमें आशा है कि इन नीतिगत सारांशों के माध्यम से हम भारत में छोटी और जमीनी स्तर की संस्थाओं को कार्य में संलग्न करके, शिक्षित और प्रभावित कर सकते हैं। ऐसा हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों और निर्णय प्रक्रियाओं के बारे में उनके बीच मौजूद कमियों को दूर करके कर सकते हैं और घरेलू और भूमंडलीय स्तर पर स्वैच्छिक क्षेत्र की आवाज को प्रस्तुत कर सकते हैं।

हर्ष जेतली
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

साझेदार संगठन	लेखक	विषयगत मुद्दा	शीर्षक
वादा न तोड़ो अभियान	राहुल बैनर्जी	समावेशपूर्ण संवृद्धि	बहिष्कृत लोगों को शामिल करना – भारत में समावेशपूर्ण संवृद्धि सुनिश्चित करना
डेवलपमेंट आल्टरनेटिव्स	डेवलपमेंट आल्टरनेटिव्स	सतत विकास	भारत में सतत विकास – समीक्षा और आगे की प्रक्रिया
सोसायटी फॉर पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया (प्रिया)	मनोज राय	भ्रष्टाचार और अभिशासन	भारत में भ्रष्टाचार और अभिशासन – वर्तमान स्थिति और आगे की प्रक्रिया
कंफड़रेशन ऑफ वालंटरी एसोसिएशनस (कोवा)	डॉ. मज़हर हुसैन, रॉबरटो ज़ी लस्करॉवॉट, एम. मुरली कृष्णा	वित्तीय समावेश	वित्तीय समावेश की आलोचनात्मक समीक्षा – भारत पर ध्यान केंद्रित करते हुए जी 20 के देश

भारत में भ्रष्टाचार और अभिशासन

अभिशासन को मोटे तौर पर ऐसी प्रक्रियाओं और संस्थाओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनका उपयोग किसी देश या क्षेत्र में प्राधिकारी (अथॉरिटीज) करते हैं। ग्यारहवीं योजना के दस्तावेज में भारत के योजना आयोग ने इस बात से सहमति प्रकट की है कि सुशासन (गुड गवर्नेंस) में एक ओर व्यक्तियों और व्यवसाय तथा दूसरी ओर सरकार और अन्य के बीच संपर्क के सभी पहलू शामिल हैं। इसके अनुसार अभिशासन में निम्नलिखित आयाम शामिल होने चाहिए:

- आबादी के सभी हिस्सों की प्रभावकारी सहभागिता के साथ सभी स्तरों पर सरकार निर्वाचित करने के अधिकार की संवैधानिक रूप से रक्षा करना।
- सरकार को सभी स्तर पर जवाबदेह और पारदर्शी होना चाहिए। परन्तु भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जवाबदेह होना आवश्यक है जो अभिशासन में एक प्रमुख कमजोरी के रूप में देखा जाता है।
- सामाजिक और सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने में सरकार को प्रभावकारी और कार्यक्षम होना चाहिए।
- स्थानीय सरकारें (पंचायतों और नगरपालिकाओं) का स्थानीय आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए कुशलतापूर्वक कार्य करने हेतु सशक्तीकरण किया जाना चाहिए।
- कानून के शासन को मजबूती से स्थापित किया जाना चाहिए।
- अंत में पूरी व्यवस्था को इस तरह से काम करना चाहिए कि उसे निष्पक्ष और समावेश व्यवस्था के रूप में देखा जाये।

यह बड़ी चिंता की बात है व्यापक संविधान वाले विश्व के सबसे बड़े जनतंत्र ने अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत अभिशासन के मानदण्डों की दृष्टि से इतना बुरा कार्य–प्रदर्शन किया है। इसे देखते हुए भी चिंता होती है कि सामाजिक क्षेत्र के लिए बजट आवंटनों में कई गुना वृद्धि के बावजूद मानव विकास सूचकांकों की दृष्टि कई वर्षों से भारत का स्थान 187 देशों में 136 पर बना हुआ है।

विश्व बैंक की सबसे हाल की रिपोर्ट के अनुसार क्रम शक्ति की दृष्टि से भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पर भारत का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (क्रम शक्ति से समायोजित करके) चीन का आधा, ब्राजील का एक तिहाई और रूस का एक चौथाई है।

भ्रष्टाचार को प्रभावित करने वाले कारक

कारणगत कारक

(i) **सामाजिक असमानताएं और गैर जनतांत्रिक वंशवादी संस्कृतिः** राजनीतिज्ञों से लेकर अफसरशाहों और निजी समाज से लेकर नागरिक समाज के नेताओं तक सबने सत्ता को अपने परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित करने की संस्कृति को कायम रखने का काम किया है। ऐसा करते समय वे जनतांत्रित व्यवहारों का दुरुपयोग करते हैं और इस तरह भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।

(ii) **केंद्रीकृत जनतंत्रः** केंद्र और राज्य सरकारों के नेता और अधिकारी (स्थानीय सरकार के प्रतिनिधियों के विपरीत जो हर दिन पहुंच में रहते हैं) सामान्य नागरिकों की अक्सर ही पहुंच में नहीं रहते और इस तरह सामाजिक रूप से जवाबदेह नहीं होते। इसके परिणामस्वरूप लोग स्थानीय स्तर पर फैसलों को प्रभावित नहीं कर पाते और वे केंद्रीकृत प्रदायगी एजेंसियों के जोड़तोड़ वाले और भ्रष्ट तौर–तरीकों का शिकार बन जाते हैं।

(iii) **अपारदर्शी और गैर–जवाबदेह राजनीतिक दलः** सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में राजनीतिक दल, उनके संसाधन और आचरण पारदर्शी नहीं होते और इसलिए अभिशासन जवाबदेही के दायरे से बाहर होते हैं। इसके साथ ही भारत में राजनीतिक वित्तपोषण की सार्वजनिक रूप से स्वीकार्य प्रक्रियाएं मौजूद नहीं हैं।

(iv) **औपनिवेशिक अधिकारी तंत्रः** भारत का अधिकारी तंत्र अभी भी लोगों की सेवा करने की बजाये उनको शासित करने की औपनिवेशिक मानसिकता के उपयुक्त है। बर्टेल्समैन फाउंडेशन की वर्ष 2008 की रिपोर्ट में कहा गया है कि गहरे जमी हुई संरक्षण प्रणाली और राजनीति और प्रशासन के सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार भारत की विशेषताएं हैं।

(v) **अप्रभावकारी न्यायिक प्रणालीः** ग्लोबल कंपीटीटिवनेस रिपोर्ट 2007–08 में भारत को न्यायिक स्वतंत्रता के संकेतकों के आधार पर 131 देशों में 26वें स्थान पर रखा गया है। हाल की ग्लोबल इंटीग्रिटी रिपोर्ट भी भारत में न्यायिक जवाबदेही को कमजोर बताती है। दुर्भाग्य से भारत की कानूनी प्रणाली को सामान्य नागरिकों की पहुंच के अंदर नहीं बताया जाता। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट (दिनांक 23 दिसंबर, 2013) के अनुसार भारतीय न्यायालयों में 32 मिलियन मामले अभी भी विचाराधीन पड़े हैं।

मध्यवर्ती/तीव्र करने वाले कारक:

(i) अभिशासन के अप्रचलित नियम (पुलिस, निजी क्षेत्र, धार्मिक संस्थाएं और गैर–सरकारी संगठन): भारत में अभिशासन के मूल नियम और पुलिस और सहकारी संस्थाओं तथा अन्य कल्याणकारी सोसाइटियों से जुड़े नियम 1860 के अधिनियम पर आधारित है। पुलिस को स्वतंत्र बनाने हेतु, जन समर्थक और सार्वजनिक रूप से जवाबदेह बनाने के लिए पुलिस सुधार करने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद सरकार ने सार्वजनिक रूप से प्रतिबद्धता करते हुए भी इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाये हैं।

(ii) नागरिकों को जानकारी न होना: सरकार अक्सर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कोई कानून या आदेश ले आती है; पर सामान्य नागरिकों को इस संबंध में जानकारी देकर शिक्षित नहीं करती। भारत जैसे देश में जहां 25 प्रतिशत से अधिक आबादी निरक्षर है (कामचलाऊ साक्षरों का अनुपात कहीं अधिक हो सकता है) सरकार की उदासीनता और जानकारी का अभाव भ्रष्टाचार को कम से कम करने की स्थिति को बदतर बना देता है।

(iii) सार्वजनिक अधिप्राप्ति नीतियां: भारत में सार्वजनिक अधिप्राप्ति की दर जीडीपी के 20 प्रतिशत से लेकर 30 प्रतिशत तक है। विभिन्न अध्ययन यह बताते हैं कि अभिशासन में भ्रष्टाचार का एक मूल कारण अधिप्राप्ति है। केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं और पहलकदमियों–जैसे कि ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना (जैसा कि उ.प्र. के मामले में हुआ था) – की विफलता सार्वजनिक अधिप्राप्ति में समस्या, कई उदाहरणों में से एक है। भ्रष्टाचार की वजह से सामाजिक व्यय अनुबंध बेकार हो जाते हैं।

(iv) स्व–जवाबदेह संचार माध्यम: भारत में हाल के वर्षों में संचार माध्यमों की भूमिका में कई गुना वृद्धि हुई है। ये लोगों की सोच और कार्रवाइयों को प्रभावित करते हैं। संचार माध्यमों ने भ्रष्टाचार के कई मामलों को उजागर किया है। पर संचार माध्यम स्वयं अभिशासन की प्रणालियों के प्रति जवाबदेही की दृष्टि से स्पष्ट नहीं हैं। "भुगतान लेकर खबर देने" और झूठे प्रचार की अनेक घटनाएं सूचित की गई हैं।

भ्रष्टाचार-विरोध के लिए संस्थागत ढांचा:

भारत में भ्रष्टाचार–विरोधी नीतियों का कार्यान्वयन करने के लिए अनेक संस्थाएं हैं। इनमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय से लेकर लोकपाल तक शामिल हैं। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कुछ प्रमुख संस्थाएं इस प्रकार हैं:

(i) **भारत का सर्वोच्च न्यायालय:** भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक मामलों में राज्य की शक्तियों को चुनौती दे कर मजबूत रुख अपनाया है। उसने भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट तौर–तरीकों के खिलाफ निर्देश जारी करने के लिए अनेक जन हित मुकदमों पर विचार किया है। न्यायालय ने मुद्दों की जांच के लिए विशेष समूहों का गठन किया है और सूचित भ्रष्टाचार के खिलाफ जांचों का पर्यवेक्षण किया है।

(ii) **लोकपाल और लोकायुक्त के कार्यालय:** लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में केंद्र के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्तों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ और संबंधित मामलों में भ्रष्टाचार की जांच करना है। लोकपाल के न्यायाधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के जन सेवक शामिल हैं। एफसीआरए के संदर्भ में 10 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक निधियां प्राप्त करने वाली सभी संस्थाओं को लोकपाल के निर्णयाधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है।

(iii) **भारत के महानियंत्रक और लेखाकार (सीएजी) का कार्यालय:** एक प्राधिकरण के रूप में सीएजी की स्थापना भारत के संविधान द्वारा की गई थी। यह कार्यालय भारत सरकार और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्ययों का लेखा–परीक्षण (ऑडिट) करता है। इस प्रकार सीएजी कार्यालय सार्वजनिक प्राधिकरणों और अधिकारियों की वित्तीय अनियमितताओं पर एक प्रभावकारी नियंत्रण स्थापित करने का कार्य करता है। सीएजी की लेखा–परीक्षित रिपोर्टों ने भ्रष्टाचार के बड़े–बड़े मामलों को उद्घाटित करने में महत्वपूर्ण योगदान किया है, जैसे कि 2जी स्पैक्ट्रम और राष्ट्रमंडल (कामनवेल्थ) खेलों के मामले।

(iv) **केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग:** संघीय स्तर पर केंद्रीय सूचना आयोग और राज्यों के स्तर पर राज्य सूचना आयोगों की स्थापना सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत की गई थी। ये कार्यालय जानकारी प्राप्त करने में नागरिकों की सहायता करते हैं और उपयुक्त जानकारी समय पर न देने वाले अधिकारियों को दण्डित करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इन कार्यालयों ने नागरिकों की न

केवल जानकारी प्राप्त करने में, बल्कि भ्रष्टाचार के मामलों का पर्दाफार्श करने में मदद की है।

(v) **केंद्रीय सतर्कता आयोग:** केंद्रीय सतर्कता आयोग एक संविधिक प्राधिकरण है। इसे सर्वोच्च सतर्कता संस्था माना जाता है जो कार्यकारिणी के प्राधिकार से स्वतंत्र है और केंद्र सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता कार्यकलापों की मॉनीटरिंग करता है तथा अपने सतर्कता कार्य के अंतर्गत नियोजन, कार्य निष्पादन, समीक्षा और सुधार में केंद्र सरकार के संगठनों का परामर्श देता है। वर्ष 2004 में केंद्र सरकार ने सीवीसी को भ्रष्टाचार के आरोपों के या पदों के दुरुपयोग के संबंध में उद्घाटन की लिखित शिकायतें प्राप्त करने और उपयुक्त कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए नामांकित किया था।

(vi) **केंद्रीय जांच ब्यूरो:** केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) भारत सरकार की सर्वोच्च जांच पुलिस एजेंसी है। इसे कार्मिक, सार्वजनिक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा पर्यवेक्षित किया जाता है। केंद्र सरकार के अलावा, सर्वोच्च न्यायालों और उच्च न्यायालयों को यह निर्णयाधिकार प्राप्त है कि वे राज्य की अनुमति के बिना राज्य में किये गये कथित अपराध की सीबीआई जांच का आदेश दे सकें। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय की पांच न्यायालयों वाली संवैधानिक पीठ के (सिविल अपील 6249 और 2001 का 6250) के 17 फरवरी 2010 के आदेश में कहा गया था। अपराधों और भ्रष्टाचार के मामलों को उद्घाटित करने में सीबीआई का विश्वसनीयता उच्च है हालांकि उस पर लगातार शासक वर्ग के राजनीतिक हितों की सेवा करने का आरोप लगाया जाता रहा है।

(vii) **राज्य भ्रष्टाचार–विरोधी ब्यूरो:** भ्रष्टाचार–विरोधी ब्यूरो एक विशेषीकृत एजेंसी है जो सरकारी विभागों में जन सेवकों के विरुद्ध और साथ ही अपराध को बल पहुंचाने वाले निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों को निबटाता है। सभी राज्य सरकारों ने इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य भ्रष्टाचार–विरोधी ब्यूरो बनाये हैं। इसके अलावा ये ब्यूरो सरकार, सतर्कता आयोग, लोकायुक्त आदि से प्राप्त जानकारी/याचिकाओं के आधार पर और साथ ही जन सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के संबंध में प्राप्त जानकारी/याचिकाओं के आधार पर जांच करते हैं। ब्यूरो के पास जानकारी एकत्र करने, जांच करने, जन सेवकों के लिए मामले दर्ज करने का अधिकार है।

भारत के अंतर्राष्ट्रीय सरोकार और भ्रष्टाचार–विरोध पर प्रतिबद्धताएं

विश्व के सबसे बड़े जनतंत्र के रूप में भारत को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पर विश्व के एक सबसे विविधतापूर्ण देश और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल्स के प्रति सम्मान दर्शाने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए भी जाना जाता है। भारत ने अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष में कई देशों के साथ सहयोग समझौते हस्ताक्षरित किये हैं। अनेक भूमंडलीय मंचों का संस्थापक और सदस्य होने के नाते भारत भ्रष्टाचार के विरुद्ध विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पहलकदमियों की सहायता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है और विभिन्न प्रतिबद्धताओं में लिखित प्रक्रियाओं का पालन करता है। भारत की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं इस प्रकार हैः

क) **भ्रष्टाचार–विरोधी राष्ट्र संघ सम्मेलन (यूएनसीएसी):** मई 2011 में भारत सरकार ने दो राष्ट्र संघ सम्मेलनों की पुष्टि की। भ्रष्टाचार–विरोधी राष्ट्र संघ सम्मेलन (यूएनसीएसी) जो दिसंबर 2005 में अस्तित्व में आया था, अब तक की सबसे बड़ी बाध्यकारी भूमंडलीय भ्रष्टाचार–विरोधी संधि है। यह राज्यों पर भ्रष्टाचार के विभिन्न तौर–तरीकों की रोकथाम, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने, चुराई गई परिसंपत्तियों की प्राप्ति के लिए सहयोग और तकनीकी सहायता तथा सूचना आदान–प्रदान को बढ़ाने का दायित्व डालती है। सम्मेलन सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में कार्य करता है और भ्रष्टाचार को अपराध बनाने तथा पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ाने के लिए व्यापक सहमतिपूर्ण दायित्व और प्रावधान प्रदान करता है। कन्वेंशन के कार्यान्वयन की प्रगति को मॉनीटर करने के लिए सदस्य राज्य अपने बीच "सहयोगी समीक्षा कार्यतंत्रों" का आयोजन करने पर सहमत हुए हैं जिसके लिए यूएनओडीसी सचिवालय का काम करता है।

ख) **भ्रष्टाचार–विरोधी एजेंसियों की अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशनः** भारत का केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार–विरोधी एजेंसियों की अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन (आईएएसीए) की कार्यकारिणी समिति का 2006 में बीजिंग, चीन में उसकी स्थापना के समय से ही सदस्य रहा है। राष्ट्र संघ भ्रष्टाचार–विरोधी सम्मेलन के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के उद्देश्य से आईएएसीए ने भ्रष्टाचार पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रमों का सफलतापूर्ण आयोजन किया है।

ग) **एशियाई विकास बैंक – आईसीडी भ्रष्टाचार–विरोधी पहलकदमीः** भारत एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए एशियाई विकास बैंक – आईसीडी भ्रष्टाचार–विरोधी

पहलकदमी का एक सक्रिय सदस्य रहा है। यह पहलकदमी विश्व की सरकारों को इन तीन कार्यतंत्रों के माध्यम से भ्रष्टाचार से लड़ने के प्रयासों में मदद करती है: (i) संचालन समूह बैठकों और सम्मेलनों के माध्यम से नीतिगत संवाद को बल पहुंचाना; (ii) विषयगत समीक्षाओं सहित नीतिगत विश्लेषण; (iii) क्षेत्रीय स्तर पर सेमिनार।

घ) ओईसीडी का रिश्वतखोरी–विरोधी कार्य समूह: भारत ओईसीडी के रिश्वतखोरी–विरोधी कार्य–समूह में एक पर्यवेक्षक के रूप में नियमित रूप से भाग लेता है।

ङ) जी20 भ्रष्टाचार–विरोधी कार्य योजना 2013–14: जी 20 का सदस्य होने के चलते भारत भ्रष्टाचार के विरुद्ध जी20 देशों के सरोकारों और प्रतिबद्धताओं में हिस्सेदारी करता है। जी20 के नेताओं ने जी20 भ्रष्टाचार–विरोधी कार्य समूह की स्थापना टोरंटो में 2010 में की थी और बाद में उसी वर्ष सिओल में भ्रष्टाचार–विरोधी कार्य–योजना की पुष्टि की थी। लोस काबोस सम्मेलन में नेतृत्व ने कार्यदल के अनुदेश को बदला और एक संशोधित कार्य योजना विकसित करने का फैसला लिया। जी20 ने "कार्यान्वयन और प्रवर्तन के बीच दूरी को समाप्त करने" की लोस काबोस विज्ञप्ति के प्रति विशेष प्रतिबद्धता प्रकट करते हुए सिओल भ्रष्टाचार–विरोधी कार्य–योजना, केन्स मॉनीटरिंग रिपोर्ट और केन्स और लोस काबोस सम्मेलनों की घोषणाओं के पूर्ण कार्यान्वयन की अपनी वचनबद्धता को दोहराया है।

च) आईबीएसए संयुक्त कार्य–समूह और ब्रिक्स: भारत ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) और आईबीएसए (भारत–ब्राजील–दक्षिण अफ्रीका) के देशों के विभिन्न समूहों की भ्रष्टाचार–विरोधी पहलकदमियों में सक्रियता से शामिल रहा है। आईबीएसए संयुक्त कार्यदल (जेडब्ल्यूजी) की शुरूआत ब्रसीलिया में आईबीएसए के पहले सम्मेलन (13 सितंबर 2006) के दौरान की गई थी। इस संयुक्त कार्यदल का उद्देश्य एक प्रभावशाली सार्वजनिक सेवा और तीन देशों के बीच सरकारों के कार्य के सर्वोत्तम तौर–तरीकों में हिस्सेदारी करना है। जेडब्ल्यूजी ने ज्ञान और अधिगम के आदान–प्रदान के छह मुख्य क्षेत्रों की पहचान की है जो इस प्रकार हैं: समेकित मॉनीटरिंग और मूल्यांकन, ई–अभिशासन, मानव संसाधन विकास, नागरिक उन्मुख सेवा प्रदायगी, भ्रष्टाचार–विरोध और नैतिकता, तथा जवाबदेही और पारदर्शिता।

ब्रिक्स के नेता अपने–अपने देशों में उभरती भ्रष्टाचार विरोधी कार्यों में भी हिस्सेदारी करते हैं और फोर्टालेजा, ब्राजील में आयोजित छठे ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान इस बात पर बल दिया गया था। छठे ब्रिक्स सम्मेलन की घोषणा ने ब्रिक्स देशों की प्रतिबद्धता की तब पुनः पुष्टि की जब बिंदु 58 में उसने यह कहा कि, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि भ्रष्टाचार वित्तीय स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। हम घरेलू और विदेशी रिश्वतखोरी का मुकाबला करने और विशेषकर भ्रष्टाचार–विरोधी राष्ट्र संघ सम्मेलन के अनुसार कानून प्रवर्तन सहयोग सहित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

छ) **राष्ट्र संघ भूमंडलीय कंपैक्ट (यूएनजीसी):** अनेक भारतीय व्यावसायिक कंपनियों ने लूट और रिश्वतखोरी सहित, भ्रष्टाचार के तमाम रूपों के खिलाफ राष्ट्र संघ भूमंडलीय कंपैक्ट (यूएनजीसी) के सिद्धांतों को अपनाया है। राष्ट्र संघ भूमंडलीय कंपैक्ट उन व्यवसायों के लिए एक रणनीतिक नीतिगत पहलकदमी है जो मानव अधिकार, श्रम, पर्यावरण और भ्रष्टाचार विरोध के क्षेत्रों में दस सार्वभौम रूप से स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार अपने कार्यों और रणनीतियों का रूप देने के प्रति प्रतिबद्ध हैं। ऐसा करके भूमंडलीकरण की मुख्य चालक शक्ति के रूप में व्यवसाय बाजारों, वाणिज्य, प्रौद्योगिकी और वित्तीय प्रगति को हर जगह अर्थव्यवस्थाओं और समाजों के लिए लाभदायी बनाना सुनिश्चित कर सकता है।

ज) उक्त के अलावा, **भारत ने संयुक्त एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपीईसी) से भी सदस्यता के लिए आग्रह किया है** और इस तरह वर्ष 2004 में चिली के सेंटियागो में की गई घोषणा के अनुसार भ्रष्टाचार के प्रति एपीईसी की प्रतिबद्धता से सहमति जताई है।

भ्रष्टाचार के विरुद्ध घरेलू कार्रवाइयों पर भारत की अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं के प्रभाव

जैसा कि हम पहले चर्चा कर आये हैं भारत जी20, ब्रिक्स, आईबीएसए और ओईसीडी जैसे बहुपक्षीय भूमंडलीय मंचों में काफी सक्रिय रहा है। राष्ट्र संघ के सदस्य के रूप में भारत अनेक अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों पर हस्ताक्षरकर्ता रहा है। इन अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं और दायित्वों ने भारत के भ्रष्टाचार के विरुद्ध कानूनी और कार्यकारिणी के क्षेत्र में उपयुक्त बदलाव लाने के लिए प्रभावित किया है। भारत सरकार ने मई 2011 में दो राष्ट्रसंघ कन्वेंशनों की पुष्टि की है – भ्रष्टाचार–विरोधी राष्ट्र संघ सम्मेलन (यूएनसीएसी) और राष्ट्रपारीय संगठित अपराध के खिलाफ राष्ट्र

संघ सम्मेलन (यूएनटीओसी)। इन प्रतिबद्धताओं की वजह से और साथ ही घरेलू मांगों के फलस्वरूप भारत ने विभिन्न भ्रष्टाचार–विरोधी कानून बनाये हैं।

भारत द्वारा यूएनसीएसी की पुष्टि के बाद, नशीली दवा और अपराध पर राष्ट्र संघ कार्यालय ने सार्वजनिक अधिप्राप्ति में निगमित ईमानदारी को प्रोत्साहित करने के लिए दो पहलकदमियां शुरू की हैं। इस बात को स्वीकार किया गया है कि भारत में ऐसे महत्वपूर्ण कानून मौजूद हैं जिनके अंतर्गत इस समय भ्रष्टाचार की रोकथाम और जांच की जा सकती है। अनेक नये विधेयकों को अधिनियमित करके भारत के कानूनी ढांचे को ठोस रूप से मजबूत बनाया जा सकता है जैसे कि – (i) सार्वजनिक अधिप्राप्ति विधेयक 2012; (ii) कंपनी विधेयक 2012;(iii) ह्विसल ब्लोअर संरक्षण विधेयक 2011; (iv) विदेशी सार्वजनिक अधिकारियों और सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अधिकारियों द्वारा रिश्वतखोरी की रोकथाम के संबंध में विधेयक। हालांकि इनमें से कुछ विधेयक विचाराधीन या लंबित पड़े हैं, पर इस प्रकार के कानूनों के पक्ष में आवाज दिन–ब–दिन जोर पकड़ती जा रही है।

यूएनसीएसी के 8 अध्यायों में विभाजित 71 अनुच्छेद है। यह जरूरी है कि राज्य पक्ष अनेक भ्रष्टाचार–विरोधी कदमों का कार्यान्वयन करें जो उनके कानूनों, संस्थाओं और व्यवहारों को प्रभावित कर सकते हैं। इन कदमों से भ्रष्टाचार की रोकथाम करने, अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन को मजबूत बनाने और न्यायिक सहयोग को बल पहुंचाने में मदद मिल सकती है। इसमें परिसंपत्तियों की वसूली, तकनीकी सहायता और सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए प्रभावकारी कानूनी कार्यतंत्र शामिल हैं और साथ ही कन्वेंशन के कार्यान्वयन के कार्यतंत्र भी शामिल हैं। यह कहा गया है कि भारत द्वारा 2014 में बनाया गया वर्तमान लोकपाल अधिनियम यूएनसीएसी की पुष्टि सहित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के प्रति भारत की वचनबद्धता का समर्थन करता है।

नागरिकों और नागरिक समाज द्वारा भ्रष्टाचार–विरोधी पहलकदमियां

भारत के नागरिक समाज की अभिशासन में मौजूद भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाने और कार्रवाई करने की एक लंबी परम्परा रही है। किंतु इसका अधिकतर ध्यान सरकार के निकायों में मौजूद भ्रष्टाचार पर अधिक और निजी क्षेत्र, मीडिया, धार्मिक और शोध संस्थानों और गैर–सरकारी संस्थाओं पर कम केंद्रित है। ट्रांस्फार्मेटिव इंडेक्स 2014 की रिपोर्ट ने सूचित किया है कि भारत में नागरिक समाज अब अपनी बात पर ज्यादा बल देने लगा है। किंतु भ्रष्टाचार–विरोध और सुशासन के कार्यतंत्रों

के संबंध में ग्लोबल इंटीग्रिटी रिपोर्ट ने भारतीय नागरिक समाज की अपेक्षाकृत कमजोर संलग्नता को लेकर चिंताएं प्रकट की हैं। 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व वाला "भारत–भ्रष्टाचार के विरोध में" आंदोलन सबसे हाल का था और उसने भ्रष्टाचार के विरुद्ध राष्ट्रीय पहलकदमी पर ध्यान केंद्रित किया जिसने आम नागरिकों को भ्रष्टाचार के विरुद्ध लामबंद किया।

भारत के नागरिक समाज संगठन भ्रष्टाचार के विरुद्ध विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पहलकदमियों के साथ भी सहयोग करते रहे हैं, जैसे कि ट्रांस्पेरेंसी इंटरनेशनल, सिविकस, सी–20, आईबीएसए, क्रेडिबिलिटी एलाएंस आदि। भारत में नागरिक समाज के संगठन अक्सर सार्वजनिक सेवाओं की प्रदायगी में भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दे उठाते हैं; वर्तमान नियमों और कानूनों की कमियों को लेकर सवाल उठाते हैं। वे कार्यान्वयन एजेंसियों के कार्यों को भी मॉनीटर करते हैं। ट्रांस्पेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया, वाणी, नेशनल सोशल वाच, प्रिया, एडीआर, एमकेएसएस, सीबीजीए, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट जैसे नागरिक समाज के संगठन भारत में अभिशासन में सुधार को लेकर कार्य करते हैं; और शासन की कमी से उभरने वाले भ्रष्टाचार को कम करने की मांग करते हैं।

स्थानीय और उप राष्ट्रीय स्तरों पर गैर–सरकारी संस्थाओं द्वारा की गई अनेक पहलकदमियों के फलस्वरूप भ्रष्टाचार का पर्दाफार्श हुआ है और अभिशासन में सुधार आया है। विभिन्न एनजीओ विभिन्न प्रकार के कारकों (कारण वाले और तीव्र करने वाले) को लेकर काम कर रहे हैं। इनमें से कुछ पहलकदमियां इस प्रकार हैं:

(क) सामाजिक जवाबदेही पहलकदमियां: स्थानीय अभिशासन की संस्थाओं के रूप में पंचायतों के कार्यशील अस्तित्व और सुगमकर्ताओं के रूप में नागरिक समाज के संगठनों के कारण ही यह संभव हुआ कि सामाजिक ऑडिट, जन सुनवाई, नागरिक–सरकार संपर्क, नागरिक रिपोर्ट कार्ड जैसे सामाजिक जवाबदेही के उपकरण लोकप्रिय हुए और अभिशासन में पारदर्शिता लाने तथा भ्रष्टाचार में कमी लाने में सफल रहे। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) कार्यक्रम ने अपने अंतर्गत किये जाने वाले कार्य के सामाजिक ऑडिट को अनिवार्य बनाया है। जिन राज्यों में मनरेगा का कार्यान्वयन प्रभावकारी रहा वे ऐसे राज्य हैं जहां नागरिक समाज के संगठन और स्वतंत्र कार्यकर्ता जागरूकता पैदा करने और निर्धनों को लामबंद करने में सक्रिय थे और सार्वजनिक सुनवाइयों और सामाजिक ऑडिट का आयोजन कर रहे थे। केस स्टडीज के लिए कृपया एकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव, प्रिया, मनरेगा, पीएसी, आदि की वेबसाइट देखें।

(ख सूचना का अधिकार और सक्रिय उद्घाटन: सरकार को पारदर्शी बनाने के लिए शायद जिस सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन का इस्तेमाल नागरिक समाज ने किया, वह था–सूचना का अधिकार। इस अधिनियम के प्रावधानों को समझ कर और फिर स्वयं उनका उपयोग करके नागरिक समाज के संगठन प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने और इस जानकारी का उपयोग अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार का पर्दाफार्श करने में सफल रहे।

(ग) बजट पर नजर रखना: दिशा, आईबीपी, सीबीजीए ऐसे कुछ संगठन हैं जिन्होंने बजट पर नजर रखने की अवधारणा को लेकर सबसे पहले काम किया और यह पता लगाने का प्रयास किया कि कब और कहां अधिकतर आवंटित निधियां लक्ष्य समूह तक पहुंचती हैं।

(घ) डॉटा निर्माण: निर्धनों और सीमांतीकृत लोगों के बारे में डॉटा (तथ्य और आंकड़े) या तो उपलब्ध नहीं हैं और यदि उपलब्ध भी हैं तो विश्वसनीय नहीं है। डॉटा का उपयोग अंततः सार्वजनिक नीतियों और कार्यक्रमों के आधार के रूप में किया जाता है। देश के विभिन्न भागों में नागरिक समाज के संगठनों ने समुदायों को इस प्रकार से सक्षम बनाया है कि वे अपने संसाधनों का, अपने स्थानों पर उपलब्ध कार्यशील सुविधाओं का मानचित्रण कर सकें। डॉटा निर्माण की इस प्रक्रिया ने (उदाहरण के लिए झोंपड़पट्टी निवासियों द्वारा जीपीएस मानचित्रण; देखें– hpttp://terraurban.wordpress.com/) समुदायों को अपनी हकदारियों की मांग करने में प्रभावकारी रूप से सहायता प्रदान की है।

(ङ) राजनीतिक सुधारों और सामाजिक आंदोलनों के लिए अभियान: नागरिक समाज संगठनों के सहमेल आम तौर पर लोगों को उनकी भूमिकाओं, दायित्वों, अधिकारों और हकदारियों के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाते हैं। राजनीतिक स्थानों में जन सहभागिता के लिए गैर राजनीतिक अभियान भी चलाए जाते हैं जैसे कि चुनाव–पूर्व मतदाता जागरूकता अभियान, आदि। अपने मुद्दों को राजनीतिक दलों के घोषणापत्रों में शामिल कराने की मांग एक अन्य उदाहरण है। "भ्रष्टाचार के विरोध में भारत" अभियान के दौरान नागरिक और नागरिक समाज अगली कतार में थे। इस आंदोलन का नेतृत्व अन्ना हजारे ने किया था।

(च) वैकल्पिक मीडिया (इंटरनेट, सोशल मीडिया और मोबाइल फोन का उपयोग): जैसे–जैसे पारंपरिक संचार माध्यम (अखबार, रेडियो, पत्र–पत्रिकाएं, टीवी चैनल)

पहुंच से दूर हो रहे हैं और पुराने पड़ते जा रहे हैं, (आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बाधाओं की वजह से) वैसे–वैसे नागरिक समाज ने सामाजिक मीडिया (फेस बुक, ट्विटर, आदि), मोबाइल फोन (एसएमएस और काल सेंटर्स) और इंटरनेट का उपयोग जनमत को लामबंद करने और सहायता प्राप्त करने के लिए करना शुरू किया है। हालांकि वैकल्पिक मीडिया की पहुंच सीमित है पर इसका विस्तार हो रहा है। उदाहरण के लिए, "आई पेड दि ब्राइब" (मैंने रिश्वत दी) नाम की एक वेबसाइट है जिसमें नागरिक रिश्वत की मांग करने वाले मामलों को सूचित कर सकते हैं और अपने अनुभवों के बारे में बता सकते हैं।

(छ) अभिशासन सुधारों और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्य करने के लिए गैर–सरकारी संस्थाओं की सहायता करने वाले कारक: भ्रष्टाचार से निबटने में गैर–सरकारी संस्थाओं की कमी के कुछ आंतरिक कारण हैं, जैसे कि:

(i) कानूनी ढांचे की पूरी समझ न होना: ऐसे मामलों में मुद्दे से संबंधित नियमों और कानूनों के विवरण पूरी तरह से समझने की बजाये कार्य करने की इच्छा अधिक होती है। उदाहरण के लिए सूचना अधिकार अधिनियम (आरटीआई एक्ट) के प्रावधानों को समझे बगैर सूचना का अधिकार के उपयोग को बढ़ावा देना।

(ii) लक्ष्य के बारे में गलत समझ: उदाहरण के लिए राज्य के गवर्नर से नगरपालिका सड़कों की मरम्मत की मांग करना। गैर–सरकारी संस्थाओं को पूरी तैयारी और हितधारकों तथा उनकी भूमिका की पूरी समझ के साथ कार्यों को नियोजित करना चाहिए। गवर्नर या राज्यपाल निर्देश में तो सहायक हो सकता है, पर सड़क मरम्मत का काम नगरपालिका इंजीनियर ही करा सकता है।

(iii) सराहना और सहयोग की भावना का अभाव: अधिकतर गैर–सरकारी संस्थाएं थोड़े रूप में सही आत्म–निर्भर होती हैं और इसलिए वे साझेदारियों के महत्व को नहीं समझतीं। अगर वे साझेदारियों की भावना को थोड़ा–बहुत समझती भी हैं तो उनमें सहयोग का अभाव होता है। ऐसे मामलों में विफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं क्योंकि अभिशासन में भ्रष्ट लोग संस्था की कमजोर स्थिति का आसानी से लाभ उठा सकते हैं।

भारत जैसे देश में जहां सरकार और अभिशासन का सबसे अधिक प्रभाव है, अभिशासन के अनेक मुद्दों को हल करना महत्वपूर्ण है। एनजीओ कार्रवाइयों के कई ऐसे उदाहरण हैं (सामाजिक ऑडिट, ज्ञान संसाधन और स्वयं सहायता समूह आदि) जिन्हें अभिशासन प्रक्रिया की मुख्य धारा में लाया गया है और इस तरह इनका सामाजिक विकास पर अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

सिफारिशें

भारत को अपनी अभिशासन की प्रणालियों और प्रक्रियाओं में अधिक उत्तरदायिता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करना चाहिए। "कम शासन और अधिक अभिशासन" के वर्तमान नारे का अर्थ है बेहतर समावेशपूर्ण विकास के लिए सार्वजनिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रणालियों में सुधार लाना। इसके लिए यह जरूरी है कि व्यवस्था संवेदनशील, नागरिक–केंद्रित, पारदर्शी, भ्रष्टाचारहीन और अपने प्रत्युत्तरों में कार्यक्षम हो। अभिशासन के विभिन्न कार्य पक्षों (जैसे कि राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारें, मीडिया और बाजार सहित नागरिक समाज) को राष्ट्र निर्माण के लिए एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और एक दूसरे के कार्य को पूरित करना चाहिए। इसीलिए देश की सरकार और राजनीतिक नेतृत्व को ऐसी प्रणालियों और प्रक्रियाओं के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए जो निम्नलिखित को सक्षम बनायें:

(क) **अपनी भूमिकाओं, उत्तरदायित्वों और अधिकारों के बारे में और साथ ही अभिशासन के नियम–कानूनों के बारे में सभी नागरिकों की अनिवार्य शिक्षा:** सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, अगर कोई उनकी मांग करे तो महत्वपूर्ण अधिकार हैं। पर यह केंद्र, राज्यों और स्थानीय सरकारों के लिए आवश्यक बनाया जाना चाहिए कि वे मौजूदा कानूनों के विस्तृत विवरण तैयार करेंगे और उनका आम नागरिकों के बीच व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार करेंगे। इसलिए यह सरकार का दायित्व होना चाहिए कि वह नागरिकों को सरकार से लाभ प्राप्त करने के लिए जो भी जानकारी चाहिए, उसके बारे में उन्हें शिक्षित करें और जानकारी प्रदान करें। इसी प्रकार निजी सेवा प्रदाताओं को भी प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध करानी और उसका उपयुक्त उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।

(ख) **विकेंद्रित और सहभागी विकास नियोजन और कार्यान्वयन, संवैधानिक रूप से अनुदेशित स्थानीय सरकारों के नेतृत्व में आवश्यक होना चाहिए:** विकेंद्रित स्थानीय अभिशासन से दीर्घकालिक रूप से भ्रष्टाचार कम होता है। इसकी

वजह यह है कि स्थानीयकरण निर्णय प्रक्रिया को लोगों के नजदीक लाकर राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता के एकाधिकार को तोड़ता है। स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने के प्रावधान और व्यवहार सरकार के कार्यप्रदर्शन की मॉनीटरिंग में और सही करने वाली कार्रवाइयों की मांग में नागरिकों की भागीदारी से नागरिकों के प्रति सरकार की जवाबदेही मजबूत होती है। इससे सरकार लोगों के प्रति अधिक उत्तरदायी और जवाबदेही बनती है। दूसरी ओर इससे भ्रष्टाचार में कमी आती है और सेवा प्रदायगी में सुधार आता है।

(ग) आंतरिक जनतंत्र और सार्वजनिक जवाबदेही के लिए राजनीतिक दलों में सुधारः चुनाव सुधारों की दृष्टि से राजनीतिक दलों में सुधार महत्वपूर्ण है और इस पर तत्काल ध्यान दिये जाने की जरूरत है। ठोस नियम–कानूनों के अभाव में, राजनीतिक दल आंतरिक रूप से निष्पक्ष और जनतांत्रिक चुनाव नहीं कराते और अपनी आय और व्यय के बारे में विस्तार से नहीं बताते। नियमित कार्य – व्यय और आय के संबंध में सूचना देने के संबंध में जहां तक जवाबदेही का सवाल है, ऐसे अनेक प्रावधान मौजूद हैं जो भारत के चुनाव आयोग को सशक्त बनाते हैं। इसके अलावा राजनीतिक दल (पंजीकरण और कार्यों का नियमन आदि) अधिनियम 2011 नामक विधेयक का मसौदा भी मौजूद है, पर जन दबाव के अभाव में अभी तक इस संबंध में कुछ ठोस कार्य नहीं किया गया है। यह सुधारों और एडवोकेसी के लिए अत्यंत महत्व का मुद्दा है।

(घ) संरक्षण और पक्षपात के वर्तमान तरीकों को समाप्त करने के लिए अधिकारी तंत्र, पुलिस और न्यायपालिका में भरती और कार्यचालन में सुधारः भारत का अधिकारी तंत्र, पुलिस और न्यायपालिका अक्षमता और भ्रष्टाचार की वजह से हमेशा विवाद के घेरे में रहे हैं। समय–समय पर किये गये विभिन्न अध्ययनों और आयोगों की रिपोर्टों में इस संबंध में अनेक सिफारिशें की गई हैं जिनका कभी कार्यान्वयन नहीं किया गया है। जैसे कि दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में इंगित किया गया है, हमारे अधिकारी तंत्र, पुलिस और न्यायपालिका का अभी तक संविधान की नई वास्तविकताओं (अभिशासन के तीन स्तरः केंद्र, राज्य और स्थानीय) से मेल नहीं बैठ पाया है। वे भारत की तेजी से बदलती सामाजिक–आर्थिक जरूरतों के अनुकूल नहीं हैं। दूसरी एआरसी रिपोर्ट के कार्यान्वयन की मांग करने के अलावा अधिकारी तंत्र, पुलिस और न्यायपालिका में भरतीयों में मौजूद घोर भ्रष्टाचार पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

(ङ) कर संबंधी नियमों का पुनर्गठन और सार्वजनिक अधिप्राप्ति नियमों को अधिक समावेशपूर्ण, पारदर्शी और भ्रष्टाचार–मुक्त बनाने के लिए उनमें सुधार लानाः भारत का संविधान सरकारों (केंद्रीय, राज्य और स्थानीय) को कर लगाने का अधिकार प्रदान करता है। इसलिए हर लगाये गये या वसूले गये कर के समर्थन में एक कानून होना चाहिए जो संसद या राज्य विधायिका ने पास किया हो। कर देश और नागरिकों के कल्याण के लिए आवश्यक हैं। पर भारत के लिए अपनी भ्रष्टाचारयुक्त और अक्षम कर प्रणाली में सुधार करना जरूरी है। कर संबंधी नियम–कायदे नागरिक–केंद्रित और पारदर्शी होने चाहिए। कर अधिकारियों को अपने कार्यों के लिए सार्वजनिक छानबीन के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। सार्वजनिक अधिप्राप्ति विधेयक 2012 को कानून बना कर पारदर्शी तरीके से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। नागरिक समाज को भी अभिशासन में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कर व्यवस्था की समस्याओं और सार्वजनिक अधिप्राप्तियों में भ्रष्टाचार पर ध्यान देना चाहिए।

(च) नागरिक समाज को नवाचारपूर्ण कार्यों और समावेशपूर्ण तथा सहभागी विकास के लिए समय–समय पर नीति सुधारों में सहायता करने के लिए स्पष्ट भूमिकाएं प्रदान करके अधिक जवाबदेह बनाया जाना चाहिएः दुर्भाग्य से यह बात सही है कि देश में बड़ी संख्या में गैर–सरकारी संस्थाएं भ्रष्ट तौर–तरीकों में लिप्त हैं और नागरिकों तथा सरकार के सामने अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत नहीं करतीं। कानूनों में ऐसे प्रावधान होने चाहिए जिनसे नागरिक समाज को संरक्षित और पोषित करके और फिर नागरिकों तथा अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी बनाया जा सके। दूसरी ओर नागरिक समाज को उन संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करने पर गंभीर रूप से विचार करना चाहिए जिनकी वजह से स्वैच्छिक क्षेत्र की उच्च विश्वसनीयता पर आंच आती है।

(छ) निजी व्यवसाय को पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से लाभ कमाना चाहिए और उसकी सभी नीतियों और कार्यक्रमों में आवश्यक रूप से यूएन ग्लोबल कंपैक्ट (यूएनजीसी) के 10 सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिएः इस समय यूएनजीसी सिद्धांतों के प्रति निजी क्षेत्र की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कोई स्पष्ट और कानूनी ढांचे मौजूद नहीं हैं। अतः स्पष्ट मापनीय संकेतकों के साथ सभी लाभ प्राप्त करने वाली संस्थाओं के लिए यह आवश्यक बनाया जाना चाहिए कि वे अपनी कार्रवाइयों में यूएनजीसी के सिद्धांतों का पालन करें।

वाणी के प्रकाशनों की सूची

- नागरिक समाज की जवाबदेही के सिद्धांत और व्यवहार (अंग्रेजी)
- स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए समर्थकारी वातावरण – एक भूमंडलीय अभियान (अंग्रेजी)
- स्वैच्छिक संगठनों में अंतर्राष्ट्रीय सुशासन के लिए मॉडल नीतियां
- स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए सुशासन पर एक हैंडबुक
- भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र की स्थिति (प्राईमर) (हिंदी और अंग्रेजी)
- सहायता प्रभावकारिता चर्चा में नागरिक समाज की संलग्नता
- स्वैच्छिक संस्थाओं और निजी क्षेत्र के बीच बदलती गतिशीलता
- सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं में स्वैच्छिक संस्थाओं को शामिल करना
- भारत के भूमंडलीय पदचिन्ह
- भारत की विकास सहयाताः रुझान, चुनौतियां और सीएसओज के लिए निहितार्थ
- जी 20 में भारत की भूमिकाः एक नागरिक समाज दृष्टिकोण
- धार्मिक अल्पसंख्यकों को लेकर काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान और चुनौतियां (अंग्रेजी और हिंदी)
- महिलाओं के साथ काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान और चुनौतियां (अंग्रेजी और हिंदी)
- स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका और योगदान (अंग्रेजी और हिंदी)
- जमीनी स्तर की स्वैच्छिक संस्थाओं की चुनौतियां – अध्ययन रिपोर्ट का प्राईमर (अंग्रेजी और हिंदी)
- जल और स्वच्छता के संबंध में स्वैच्छिक क्षेत्र की संस्थाओं की भूमिका और योगदान (अंग्रेजी और हिंदी)
- दलितों को लेकर कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान और चुनौतियां
- शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, जल और स्वच्छता के विषयगत मुद्दों को लेकर काम करने में सीएसआर का योगदान (अंग्रेजी और हिंदी)
- राष्ट्रीय स्वैच्छिक क्षेत्र नीति पर पुनर्विचार और राष्ट्रीय स्वैच्छिक कार्य नीति की जरूरत (अंग्रेजी और हिंदी)
- राष्ट्रीय स्वैच्छिक क्षेत्र नीति पर पुनर्विचार और राष्ट्रीय स्वैच्छिक कार्य नीति का नीतिगत सार (अंग्रेजी और हिंदी)
- भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए समर्थकारी वातावरण – एक अध्ययन रिपोर्ट (अंग्रेजी)

हेनरिक बोल फाउंडेशन का परिचय

"हेनरिक बोल फाउंडेशन (एचबीएफ) जर्मनी की एक पर्यावरण–उन्मुख राजनीतिक फाउंडेशन है जो ग्रीन्स/एलाएंस से जुड़ी है। इसका मुख्यालय बर्लिन में है। आज अपने 30 अंतर्राष्ट्रीय कार्यालयों के माध्यम से हेनरिक बोल फाउंडेशन विश्व भर में नागरिक शिक्षा कार्यकलाप और परियोजनाएं चलाती है और उन्हें सहायता प्रदान करती है।

एचबीएफ अपने को एक पर्यावरण उन्मुख विचार–संस्था और अंतर्राष्ट्रीय नीति नेटवर्क के रूप में देखती है जो कि सरकारी और गैर–सरकारी कार्य–पक्षों के साथ कार्य करता है और जेंडर समानता, टिकाऊ विकास और जनतंत्र तथा मानव अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करता है।

भारत में वर्ष 2002 से अपनी उपस्थिति के साथ एचबीएफ का भारत कार्यालय देश में हितधारकों और साझेदारों के साथ पारस्परिक संपर्क का समन्वयन करता है। इसके कार्यक्रम के मुख्य क्षेत्रों में जलवायु और संसाधन नीति, जेंडर परिप्रेक्ष्य से सामाजिक–आर्थिक नीति, जनतंत्र की गतिशीलता और नयी भूमंडलीय व्यवस्था में भारत की भूमिका शामिल हैं।"

वाणी का परिचय

वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी) स्वैच्छिक संस्थाओं का एक शीर्ष निकाय है। वर्ष 1988 में स्थापित यह संस्था स्वैच्छिक क्षेत्र के प्रोन्नतिकर्ता/संरक्षरक और उसकी सामूहिक आवाज के रूप में कार्य करती है।

वाणी का आधार

- भारत के 25 राज्यों में फैली 8000 स्वैच्छिक संस्थाएं हैं।
- यह स्वैच्छिक क्षेत्र के संबंध में प्रकाशनों, शोध, लेखों और जानकारी का एक संसाधन केंद्र है।

लक्ष्य

- एक मंच में रूप में स्वैच्छिकवाद को बढ़ावा देना और स्वैच्छिक कार्रवाई के लिए जगह बनाना।
- एक नेटवर्क के रूप में भारत में स्वैच्छिक कार्रवाई का एक सचमुच राष्ट्रीय एजेंडा तैयार करने के लिए क्षेत्र के साझे मुद्दों और सरोकारों को एकीकृत करना। इसके अलावा वाणी बदलाव के एकजुट और टिकाऊ आंदोलन को मजबूत बनाने की दिशा में भारतीय स्वैच्छिक क्षेत्र के विभिन्न प्रयासों और पहलकदमियों के बीच संपर्क बनाती है।
- एक एसोसिएशन के रूप में; मूल्य आधारित स्वैच्छिक कार्रवाई और विशेषकर अपने सदस्यों के बीच दीर्घकालिक टिकाऊपन को पोषित की दिशा में कार्य करना।

कार्य के क्षेत्र

- स्वैच्छिक क्षेत्र में सुशासन के तौर–तरीकों को बढ़ावा देना
- नेटवर्कों को मजबूत बनाना
- स्वैच्छिक क्षेत्र की स्वतंत्र आवाज को रूप प्रदान करना
- स्वैच्छिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाली नीतियों और कानूनों के संबंध में शोध और पैरवी करना।

वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)
बीबी–5, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश 2, नई दिल्ली 110 048
फोन : 01129228127, 29226632, टेलिफैक्स: 011–41435535
ईमेल: info@vaniindia.org,
वेबसाइट: www.vaniindia.org